12.6.17

पत्रावली वादी नाम ओमप्रकाश पर पेश।
वादी सं० 3 उपस्थित वाद पत्र के तथ्य
इस प्रकार हैं कि ग्राम नरहनपुरा के
मौजा बन्दोबस्त आराजी नम्बर 1931, 3511
वादी के पिता कालू लुहार के नाम पर दर्ज

हुई जो नक्शे में नाडी आ.नं 754 से सटी हुई होकर रास्ता दर्ज रेकार्ड था। आज भी वहीं पर रास्ता निकल रहा है। परन्तु बन्दोबस्त के दौरान वादी के आराजी के मध्य शजरा रास्ता रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया। जो पूर्व रेकार्ड के मुकाबले नक्शे में गलत है, मुकाबले गलत है इस लिए वादी को वाद लाना पड़ा।

अतः वादीगण की गत आराजी नम्बर 793 के हाल नम्बर 1361 व 1356 बने है जिसके नक्शे में आराजियात के मध्य शजरा रास्ता दर्ज किया जाकर अंकन किया गया है उसे डिलीट किया जाकर रास्ता प्रतिवादी सं. 2 से 5 की आराजी नम्बर 1139 की कजानिक पूर्व नक्शे अनुसार तरमीम किया जाकर नक्शा दुरस्त कराने की आज्ञा कहके वादी खिलाफ प्रतिवादीगण रेकार्ड नक्शा दुरस्त करवाया जावे। तथा वादीगण को सम्पूर्ण आराजी नं 1361 व 1356 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

तनन्तर तामील ओपचारिक पर भू.अ.निरीक्षक से मौका रिपोर्ट मंगाई गई जिस में बताया गया की ग्राम तख्तपुरा के आ.नं. 1356 एवं 1428/1361 के मध्य रास्ता का वादी ने रास्ता पुराने नक्शे में पश्चिमी मेड आ.नं 1139 के पास था तथा नये नक्शे में दोनों खेतों के बीच में दर्ज कर दिया जिसे दुरस्त कर एक तरफा पहले की तरह निकाले तथा वर्तमान रास्ता आ.नं 1358 में वादी के खेत के मध्य का भाग की खातेदारी घोषित किया जावे।

...तवारी [illegible]

[illegible] रास्ता साबिक नक्शे में
आ.नं. 793, 755/1 की पश्चिमी मेड़ पर दिखाया
रहा था. तुलना आ.नं. 793, 755/1 के नवीन
नम्बर 1356, 1428/1361 अर्थात् [illegible] वर्तमान

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
	जनरेशन मे यह रास्ता दोनो खेतो के मध्य से निकल रहा है। जब की मौके पर यह रास्ता ख.नं. 1428/136 की पश्चिमी मेड पर निकल रहा है तथा सुचारु रूप से चालू है। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। ख.नं. 1379/135, ख.नं. 1396 को किस रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है जो मौके पर बंद होकर खेती हो रही है खातेदार मौके पर 1428/136 की पश्चिमी पर निकल रहा है। **आदेश** आदेश दिया जाता है कि ग्राम तरसलपुरा के ख.नं. 1424/136 रकबा 01.03 बीघा मे से 0.8 बिस्वा भूमि लादूलाल पिता केसीराम सुथार के बजाय रास्ते मेद की जावे। ख.नं. 1358 रकबा 1.04 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता बिलानाम गैर का.क. मे से 0.08 बीघा भूमि लादूलाल पिता केसीराम सुथार के नाम दर्ज की। एवं ख.नं. 1428/136 रकबा 2.19 बीघा मे से 0.16 बिस्वा भूमि खातेदार कमला, शांति पुत्री नाथू गोपाल मु. काशी लोहार के बजाय बिलानाम गै. काबिल काश्त गै.मु. रास्ता दर्ज करे। ख.नं. 1358 रकबा 1.04 बीघा किस्म गै.मु. रास्ते मे से 16 बिस्वा भूमि रास्ते के बजाय खातेदार के नाम दर्ज किया जावे खातेदारो को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदनुसार राजस्व रेकार्ड मे अंकन कर रास्ता सार्वजनिक रहेगा। आज दिनांक 12.6.17 कोर्ट कैम्प कोल्याडा मे सरे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़ एवं सहायक कलेक्टर हमीरगढ़

पीठासीन अधिकारी:– श्रीमति रेनु मीना आर0ए0एस0

उनवान

1. कमला पुत्री स्व. नाथू लुहार निवासी तख्तपुरा
2. शांति पुत्री —"—
3. गोपाल पुत्र —"—

बनाम   वादीगण

1- तहसीलदार हमीरगढ़
2- नंदा पुत्र भेरु कुम्हार निवासी तख्तपुरा
3. बालू पुत्र —"—
4. श्रीमती सीता पत्नी स्व. लोका कुम्हार —"—
5. कंकू पुत्री —"—
6. [illegible] बैंक लि. हमीरगढ़

दावा बाबत– 88, 188, 209 रा. का. अधि.

मुकदमा नम्बर :– 6/16

निर्णय दिनांक :– 12.6.17

वादी की ओर से उप. की व प्रतिवादी की ओर से — उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.6.17 को (नाम पीठासीन अधिकारी **श्रीमती रेणु मीना**) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:–

आदेश दिया जाता है कि ग्राम तख्तपुरा के आ.न. 1424/1361 रकबा 0.03 बीघा में से 0.08 बिस्वा भूमि लादूलाल पिता कैलाराम सुथार के बजाय रास्ते में दर्ज करें। आ.न. 1358 रकबा 1.04 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता किस्म और 0.08 में से 0.08 बीघा भूमि लादूलाल पिता कैलाराम सुथार के नाम दर्ज करें एवं आ.न. 1428/1356 रकबा 2.16 बीघा में से 0.16 बिस्वा भूमि खातेदार कमला, शांति पुत्री बालू, गोपाल पु. बालू लोहार के बजाय किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करें। आ.न. 1358 रकबा 1.04 बीघा किस्म गै.मु. रास्ते में से 16 बिस्वा भूमि रास्ते के बजाय खातेदार के नाम दर्ज किया जावे। खातेदार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार शजरा व नक्शे में अंकन करें। रास्ता सार्वजनिक रहेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगें।

यह आज तारीख 12.6.17 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी

पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ़

हमीरगढ़